


छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 27/07/2016
क्रमांक एफ 7-44/2016/32 : राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला नियमितिकरण प्राधिकारी का एतद्वारा, गठन करता है। इस जिला नियमितिकरण प्राधिकारी में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नानुसार अन्य सदस्य होंगे:

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | जिले का कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | जिला पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3. | संबंधित नगरीय निकाय जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा का आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी। | सदस्य |
| 4. | संबंधित विकास प्राधिकरण जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी। | सदस्य |
| 5. | नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का जिला प्रभारी अधिकारी | सदस्य सचिव |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(संजय शुक्ला)
सचिव

27/7/16

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
दिनांक 27/07/2016.

पृ. क्रमांक एफ 7-44/2016/32
प्रतिलिपि :-

- विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
- समस्त संभागायुक्त,
- संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
- समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़,
- समस्त आयुक्त, नगर पालिका निगम, छत्तीसगढ़,
- समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
छत्तीसगढ़, रायपुर
दिनांक _____
30 JUL 2016
संचालक

आवक क्रमांक 787
दिनांक 01/08/16